

संख्या- 27/15/2010-एस.आर.एस.  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली ।  
दिनांक 23/12/2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल सरकार,  
देहरादून ।

विषय: दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 24, मई, 2010 को आयोजित 79 वीं बैठक में विचार के उपरान्त स्वीकृति -

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 24, मई, 2010 को आयोजित 79 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने गृह (पुलिस) विभाग के निम्नलिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत स्वीकृत करने की संस्तुति की है ।

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम पद नाम TFAL No.
1	श्री दिनेश कुमार, मुख्य आरक्षी 232
2	श्री शैलेश कुमार सिंह, आरक्षी 2294

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । उपरोक्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

०/८

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

- श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
- श्री श्री डी.के. कोटिया,, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।

